



बाल कल्याण और सहायता सुनिश्चित करना: मशिन वात्सल्य योजना

प्रलिस के लयि:

[मशिन वात्सल्य](#), महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय, एकीकृत बाल संरक्षण योजना

मेन्स के लयि:

मशिन वात्सल्य, सरकारी नीतयिँ एवं हस्तक्षेप, बच्चों से संबधति मुददे

चर्चा में क्योँ?

महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय द्वारा भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लयि [मशिन वात्सल्य](#) शुरू कयिा गया है ।

- ग्राम स्तरीय बाल कल्याण और संरक्षण समति (CW&PC) उन बच्चों की पहचान करेगी जो कठनि परस्थितियिँ में हैं, अनाथ हैं या सड़कों पर रह रहे हैं । इन बच्चों को मशिन वात्सल्य योजना के तहत सुवधि प्रदान की जाएगी ।
- ये सुवधिाँ बाल कल्याण समति (CWC) की सफिरशिँ और प्रायोजन तथा फोस्टर केयर अनुमोदन समति (SFAC) से अनुमोदन के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

मशिन वात्सल्य:

- ऐतहिसकि परपिरेक्ष्य:
 - वर्ष 2009 से पूर्व: महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय ने तीन योजनाँ लागू कीं:
 - देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लयि कशोर न्याय कार्यक्रम ।
 - सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लयि एकीकृत कार्यक्रम ।
 - बाल गृहों की सहायता हेतु योजना ।
 - वर्ष 2010: इन योजनाओं का वलिय एकीकृत बाल संरक्षण योजना में कर दयिा गया ।
 - वर्ष 2017: बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम परविरतति कयिा गया ।
 - वर्ष 2021-22: मशिन वात्सल्य के रूप में पुनः प्रस्तुत कयिा गया ।
- परचिय:
 - भारत में बाल संरक्षण सेवाओं के लयि अम्बरेला योजना ।
 - इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक बच्चे के लयि एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है ।
 - मशिन वात्सल्य के घटकों में शामिल हैं:
 - वैधानकि नकियों की कार्यप्रणाली में सुधार करना ।
 - सेवा वतिरण संरचनाओं को सुदृढ बनाना ।
 - संस्थागत देखभाल और सेवाओं को उन्नत बनाना ।
 - गैर-संस्थागत समुदाय-आधारति देखभाल को प्रोत्साहति करना ।
 - आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना ।
 - प्रशकिषण एवं क्षमता नरिमाण ।
- उददेश्य:
 - बच्चों द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने तथा सभी क्षेत्रों में उनके फलने-फूलने का अवसर सुनिश्चित करना ।
 - बाल वकिस के लयि एक संवेदनशील, सहायक एवं समनवति पारस्थितिकी तंत्र को बढावा देना ।
 - कशोर न्याय अधनियम, 2015 को लागू करने में राज्यों एवं केंद्रशासति प्रदेशों की सहायता करना ।
 - सतत वकिस लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करना ।
- बच्चों के लयि गैर-संस्थागत देखभाल के प्रकार:
 - आर्थकि संरक्षण:
 - सरकारी सहायता प्राप्त आर्थकि संरक्षण: सरकारी नधिके माध्यम से प्रदान की जाने वाली वतितीय सहायता ।

- नज़ी सहायता प्राप्त आर्थिक संरक्षण: नज़ी स्रोतों या व्यक्तियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।
- पालन-पोषण संबंधी देखभाल:
 - बच्चे की देखभाल एवं पुनर्वास की ज़िम्मेदारी एक असंबंधित परिवार द्वारा ली जाती है।
 - बच्चे के पालन-पोषण के लिये पालक माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दत्तक ग्रहण:
 - ऐसे बच्चों के लिये उपयुक्त परिवार ढूँढना जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिये स्वतंत्र हो।
 - केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) गोद लेने की प्रक्रिया को सुवर्धित बनाता है।
- दत्तक ग्रहण पश्चात् देखभाल:
 - 18 वर्ष की आयु होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - यह समर्थन उन्हें समाज में फरि से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।
 - इस सहायता को 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है, जसि 23 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है।

नोट: मशिन के तहत प्रदत्त आर्थिक संरक्षण और पालन-पोषण कार्यक्रम को लागू करने एवं नगिरानी के लिये प्रत्येक ज़िले में एक SFCAC होगा।

बाल कल्याण समितियाँ:

- ज़रूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिये प्रत्येक ज़िले या ज़िलों के समूह में राज्य सरकारों द्वारा बाल कल्याण समितियाँ (CWC) का गठन किया जाता है।
- प्रत्येक CWC में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, जनिमें कम-से-कम एक महिला तथा बच्चों से संबंधित मामलों का एक विशेषज्ञ शामिल होता है।
- कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक CWC की स्थापना करना अनविर्य है।
- बाल कल्याण समिति (CWC) कशोर न्याय अधिनियम/नयिमों में परभाषित कार्यों और भूमिकाओं का पालन करती है।
- यह समिति मजिस्ट्रेटों की एक पीठ के रूप में कार्य करती है और इसके पास बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों का निपटान करने का अधिकार है।
- मशिन वात्सल्य CWC की प्रभावी कार्यप्रणाली को स्थापित और सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बुनयिदी ढाँचा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्रोत: पी.आई.बी.